



भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर अनुसंधान केन्द्र ICAR Research Complex for Eastern Region Research Centre

प्लान्डु, राँची- 834010(झारखण्ड) Plandu, Ranchi- 834010(Jharkhand)



फा. सं.:7-1/17-18/SP

दिनांक: 18.08.2017

अमरुद फल की नीलामी

निविदा सूचना 2/17-18

सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली की ओर से इस केन्द्र के प्रक्षेत्र-1 के बगीचों से अमरुद के पेड़ के फलों की खरीदारी हेतु नीलामी वर्ष 2017-18 के लिए इच्छुक खरीदारों से मुहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। अमरुद के बगीचे प्लान्डु, नामकुम (टाटा रोड) राँची में स्थित हैं। इनके निरीक्षण हेतु दिनांक 21.08.2017 से 23.08.2017 तक कार्यावधि में प्रक्षेत्र प्रभारी से सम्पर्क किया जा सकता है।

निविदा पत्र दिनांक 23.08.2017 से रु.300 (रूपये तीन सौ मात्र) नगद भुगतान के पश्चात् (जो लौटाया नहीं जाएगा) कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा दिनांक 24.08.2017 के 12:30 बजे (अपराह्न) तक कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। उसी दिन उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष 2:30 बजे (अपराह्न) बजे खोला जाएगा। उपरोक्त तिथियों में फेर बदल करने की सूचना कार्यालय के सूचना पट्ट पर लगा दी जायेगी।

विस्तृत विवरण निविदा प्रपत्र पर उल्लिखित है।

प्रभारी सहायक प्रशासनिक अधिकारी



भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर अनुसंधान केन्द्र ICAR Research Complex for Eastern Region Research Centre

प्लान्डु, राँची- 834010(झारखण्ड) Plandu, Ranchi- 834010(Jharkhand)



फा. सं.:7-1/17-18/SP

दिनांक: 21.08.2017

निविदा सूचना 2/17-18

विषय : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर, अनुसंधान केन्द्र, प्लान्डु, राँची स्थित विभिन्न Trial 2017-18 के अंतर्गत 01 सितम्बर 2017 से 28 फरवरी 2018 तक के लिए प्रक्षेत्र-I पर अमरुद फल की नीलामी।

प्रधान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर, अनुसंधान केन्द्र, प्लान्डु, राँची/ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली-110001 की तरफ से 01 सितम्बर, 2017 से 28 फरवरी, 2018 तक के लिए प्रक्षेत्र-I पर अमरुद फल की नीलामी हेतु निविदा आमंत्रित करते हैं। निविदा हेतु प्रखंड आबंटन एवं विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम सं.	प्रखंड	प्लॉट न.	ट्रायल का नाम	अग्रधन राशि	पेड़ों की सं.	निविदा हेतु विशेष शर्त
1.	Farm -I Block A	54-57	Guava + Pineapple	5000.00	250	ट्रायल के अधीन पौधों के फलों की तुड़ाई फल तैयार होने पर ही प्रोजेक्ट लीडर के सुझाव पर करेंगे एवं प्रत्येक पौधों का डाटा संबंधित तकनीकियन को देंगे।
2.	Farm -I Block C	1-8	Mother plant block of Guava cv Allahabad Safeda	2000.00	360	ट्रायल के अधीन पौधों के फलों की तुड़ाई फल तैयार होने पर ही प्रोजेक्ट लीडर के सुझाव पर करेंगे एवं प्रत्येक पौधों का डाटा संबंधित तकनीकियन को देंगे।
3.	Farm -I Block C	9-16	Guava Ultra high density orchard	5000.00	8000	ट्रायल के अधीन पौधों के फलों की तुड़ाई फल तैयार होने पर ही प्रोजेक्ट लीडर के सुझाव पर करेंगे एवं प्रत्येक पौधों का डाटा संबंधित तकनीकियन को देंगे।

प्रयोग में प्रयुक्त पौधों से प्रति वृक्ष से नमूना लिया जायेगा। यह नमूना नि:शुल्क देना होगा। (पेड़ों की संख्या 8,610) उपर्युक्त प्रक्षेत्र उत्पादों की खरीदने के इच्छुक व्यक्ति/संगठन निर्धारित निविदा प्रारूपों में अपना निविदायें क्रमशः इस कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

निविदा हेतु नियम एवं शर्तें:

1. निविदा पत्र खरीदने के उपरान्त निलामी हेतु प्रक्षेत्र उत्पादों का निरीक्षण **21.8.2017 से 23.8.2017** तक किसी भी कार्यदिवस के बीच प्रातः **10.00 बजे से अपराह्न 3.30 बजे** तक प्रक्षेत्र प्रभारी से मिलकर किया जा सकता है।
2. इस कार्यालय से निविदा पत्र (अहस्तांतरणीय) 300.00 (तीन सौ रुपये मात्र) कार्ड/डीडी/नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है।
3. अग्रधन राशि – यथानिर्दिष्ट अलग-अलग लॉटों के लिए अलग-अलग अग्रिम राशि के रूप में **एकाउन्ट पेयी ड्राफ्ट जो Head, ICAR-RCER, RC, Ranchi payable at State Bank of India, Namkum, Ranchi** के रूप में या इस कार्यालय में कार्ड द्वारा/नगद राशि के रूप में जमा करना होगा।
4. **अग्रधन राशि के बिना कोई भी निविदा मान्य नहीं होगा।** किसी प्रकार की राशि जो पूर्व में जमा की गई हो उसकी ई. एम. डी. के रूप में हस्तानांतरण हेतु अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा।
5. निविदाकर्ता प्रत्येक निविदा का मूल्य का उल्लेख अलग-अलग करेंगे एवं इसे संलग्न फार्म -1, जिसे बयाना राशि रसीद के साथ एवं नियम एवं शर्तों की प्रतिलिपि के साथ हस्ताक्षर करने के उपरान्त इस कार्यालय में जमा करेंगे जिसका मतलब होगा कि उन्हें उल्लेखित नियम एवं शर्तें मान्य हैं। फार्म -1 की दूसरी प्रति निविदाकर्ता अपने पास रखेंगे।
6. **निविदाकर्ता को आधारकार्ड/पैन कार्ड/बैंक एकाउन्ट की फोटो प्रति देना अनिवार्य है। अन्यथा उनकी निविदा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।**
7. सभी निविदा बन्द लिफाफा में जमा किया जायेगा जिसके ऊपर निविदा सं. 2/17-18 प्लॉट सं. – **अमरूद के फलों की नीलामी हेतु निविदा** लिखी होनी चाहिए। कार्यालय में उपलब्ध निविदा बाक्स में ही केंवल डाली जा सकती है।
8. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय **24.8.2017 को 12.30 बजे अपराह्न** है।
9. **निविदा खुलने की तिथि एवं समय 24.8.2017 को अपराह्न 2.30 बजे** है।
10. निविदा खुलना : निविदा खुलने के समय निविदाकर्ता स्वयं अथवा लिखित रूप में प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से कार्यालय परिसर (प्लाण्डू) में उपस्थित हो सकते हैं।
11. भुगतान की विधि : निविदा खुलने के उपरान्त सफल निविदाकर्ता को उनके द्वारा रकम की **25 प्रतिशत राशि का कार्ड/नगद भुगतान** करना होगा एवं **75 प्रतिशत राशि का भुगतान फसल तुड़ाई** के प्रारंभ करने के पहले करना होगा। **पूर्ण राशि के भुगतान के बिना फल तोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी।**
12. निविदा स्वीकार करने का अधिकार: प्रधान, भा0कृ0अनु0प0 का पूर्वी अनुसंधान परिसर, अनुसंधान केन्द्र, पलांडू, राँची/निदेगाँव, भा.कृ.अनु.परिषद् का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना/सचिव, भा.कृ.अनु.परिषद्, नई दिल्ली को उच्चतम शर्त के अनुरूप किसी भी निविदा को स्वीकृत करने/रद्द करने का पूर्णतया अधिकार होगा। पूरी निविदा, निविदा के किसी भी भाग को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
13. मध्यस्तता: निविदा से संबंधित किसी प्रकार के विवादों, मतभेदों के निराकरण हेतु प्रधान, भा0कृ0अनु0प0 का पूर्वी अनुसंधान परिसर, अनुसंधान केन्द्र, पलांडू, राँची/निदेगाँव, भा.कृ.अनु.परिषद् का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना/सचिव, भा.कृ.अनु.परिषद्, नई दिल्ली को प्रेषित किया जा सकता है। प्रधान, भा0कृ0अनु0प0 का पूर्वी अनुसंधान परिसर, अनुसंधान केन्द्र, पलांडू, राँची/निदेगाँव, भा.कृ.अनु.परिषद् का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना/सचिव, भा.कृ.अनु.परिषद्, नई दिल्ली का निर्णय किसी भी पक्ष के लिए अंतिम रूप से मान्य होगा।
14. अग्रधन राशि सफल निविदाकर्ता को एकरारनामा के अनुरूप तुड़ाई के ठीक-ठाक समाप्त होने के उपरान्त ही वापस की जायेगी।
15. सुरक्षा व्यवस्था : सफल निविदाकर्ता को एकरारनामा के तुरन्त बाद सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी। चोरी, फसल की बर्बादी, प्राकृतिक विनाश अथवा किसी अप्रत्याशित कारण वगैरह के लिए यह केन्द्र जिम्मेदार नहीं होगा।

16. प्रक्षेत्र पर कार्यरत कर्मचारियों की निगरानी में, ठीकेदार को अपने श्रमिकों द्वारा फसल की तुड़ाई पेड़ों/प्रखंडो से करनी होगी।
17. इस केन्द्र द्वारा निकासी के प्लाटों में प्रक्षेत्र कार्य जैसे गुड़ाई, सिंचाई एवं जुताई आदि कार्य कराने पर ठीकेदार को कोई आपति/हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होगा। फलों की तुड़ाई का कार्य पौधों को बिना क्षति पहुँचाये किया जाना होगा।
18. फलों की तुड़ाई का कार्य आकार के आधार पर नहीं बल्कि पकने की वास्तविक स्थिति पर करना होगा तथा इस पर इस केन्द्र के वैज्ञानिक की राय अंतिम होगी।।
19. प्रत्येक पौधे की उपज (अनुसंधान के उद्देश्य हेतु) केन्द्र के प्रतिनिधि अंकित करेंगे। इस हेतु प्रधान की अनुमति से कार्य करना होगा।
20. अमरूद परीक्षण में संबंधित वैज्ञानिक/प्रक्षेत्र प्रभारी/प्रधिकृत कर्मचारी द्वारा तुड़ाई के समय दिये जाने वाले निर्देशों को मानना होगा।
21. संबंधित कर्मचारियों को पेड़ों अथवा प्लाटों के निरीक्षण का अधिकार सुरक्षित होगा।
22. फलों की तुड़ाई, रख-रखाव एवं ढुलाई की जिम्मेदारी ठीकेदारों की होगी।
23. तुड़ाई का कार्य प्रातः 9.30 से 4.00 बजे अपराह्न तक कार्य दिवसों को ही होगा।
24. ठीकेदार अथवा उनके कर्मचारियों द्वारा संस्थान को किसी प्रकार की क्षति पहुँचाने पर इसकी क्षतिपूर्ति नियमानुसार सम्बन्धित ठीकेदार से की जायगी।
25. टेका अवधि निलामी की 100 प्रतिशत राशि जमा करने के साथ ही प्रारम्भ होगी एवं 28.2.2018 या फसल समाप्त (जो पहले हो) को समाप्त होगी।
26. प्रशासनिक कार्य हेतु सहायक प्रशासन अधिकारी/प्रक्षेत्र प्रभारी/प्रधान से सम्पर्क करेंगे।
27. दूसरे कार्य (तकनीकी/तोड़ाई इत्यादि) हेतु प्रक्षेत्र प्रभारी से सम्पर्क करेंगे। समस्याओं का हल न होने पर अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क किया जा सकता है।
28. सभी विवादों के निपटारा का क्षेत्र राँची होगा।
29. प्रयोग में प्रयुक्त पौधों से प्रति वृक्ष से नमूना लिया जायेगा। यह नमूना निःशुल्क देना पड़ेगा।
30. ठीकेदार को उपरोक्त विवरण के अनुसार अनुसंधान के लिए अमरूद फलों की आपूर्ति निःशुल्क देनी होगी।
31. किसी भी विषय से संबंधित सर्वाधिकार प्रधान, भा0कृ0अनु0प0 का पूर्वी अनुसंधान परिसर, अनुसंधान केन्द्र, पलांडू, राँची/निदेशक, भा.कृ.अनु.परिषद् का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना को सुरक्षित होगा।

प्रभारी सहायक प्रशासनिक
अधिकारी
अनुसंधान केन्द्र, पलांडू राँची

फार्म संख्या –1 (निविदा दर पत्र)

1. ठीकेदार का नाम:
2. पत्राचार का पता :
3. दूरभाष/मोबाइल संख्या :
4. निविदा खुलने की तिथि एवं समय **24.8.2017** को **2.30** बजे अपराहन

क्रम सं.	प्रखंड	प्लॉट न.	ट्रायल का नाम	पेड़ों की सं.	नीलामी का रकम (अंको एवं शब्दों में)
1.	Farm –I Block A	54-57	Guava + Pineapple	250	
2.	Farm –I Block C	1-8	Mother plant block of Guava cv Allahabad Safeda	360	
3.	Farm –I Block C	9-16	Guava Ultra high density orchard	8000	

प्रयोग में प्रयुक्त पौधों से फल प्रति वृक्ष से नमूना लिया जायेगा। यह नमूना निःशुल्क देना होगा।

निविदा संख्या 2/17–18 दिनांक 18.8.2017 में दर्ताये गये सभी नियम व शर्तें क्र.सं. 1 से 31 तक मुझे स्वीकार है।

ठीकेदार के हस्ताक्षर
तिथि :
मुहर